

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, चास(बोकारो)।

आदेश

विविध वाद संख्या-07/2023-24

अनुसूची 14-फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
6/3/25 10/3/25	प्रस्तुत विविध वाद अभिलेख संख्या-16/2023-24 अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2210 दिनांक 11.08.2023 द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष-सतीश जायसवाल, पिता-स्व0 शिवशंकर जायसवाल, ग्राम-बांके मार्केट, मेन रोड, चास, पोस्ट-चास, थाना-चास, जिला-बोकारो द्वारा अंचल कार्यालय, चास में आवेदन दाखिल कर चास अंचल अंतर्गत मौजा-चास, थाना नं0-30, खाता सं0-519, प्लॉट सं0-6886 पर ऑनलाईन पंजी II के भाग संख्या-203 के पृष्ठ संख्या-82 में चन्दन कुमार प्रसाद के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा विविध वाद संख्या-16/2023-24 संधारित कर मौजा-चास, थाना नं0-30, खाता सं0-519, प्लॉट सं0-6886 पर ऑनलाईन पंजी II के भाग संख्या-203 के पृष्ठ संख्या-82 में चन्दन कुमार प्रसाद के नाम से चल रही जमाबंदी को रद्द करने का अनुशंसा किया गया है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा किये गये अनुशंसा के आधार पर इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर विधिवत विभिन्न तिथियों को सुना गया। उभय पक्षों से उनका कारण पृच्छा प्राप्त किया गया। प्रथम पक्ष-प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन में कहा गया है कि माता-पिता के मौखिक सहमति के आधार पर कुल रकवा-7.11 डी0 भूमि प्रथम पक्ष को प्राप्त हुआ एवं दोनों भाईयों द्वारा अपने हक को पैसे लेकर त्याग दिया। साथ ही बाहर बस गये। सम्बन्धित दुकान प्रथम पक्ष सतीश जायसवाल के दखल में आया, जिसमें किरायेदार द्वारा प्रथम पक्ष को किराया मिल रहा है। उनके द्वारा यह कहा गया है कि सम्बन्धित भूमि का बिक्री केवाला दलील के द्वारा किया गया। तथा विक्रेता का सम्बन्धित भूमि पर दखल नहीं था। साथ ही सम्बन्धित केवाला को दखल के आधार पर रद्द करने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि Inheritance Act, 1956 के आधार पर पिता की मृत्यु के बाद सम्पत्ति का मालिक पुत्र होता है ना कि पत्नी। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अंचल अधिकारी के द्वारा किये गये नामांतरण वाद कानून के नजर में गलत है तथा नामांतरण वाद सं0-3186/2022-23 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता सतीश जायसवाल और उनके दोनों भाई (1) संजय जायसवाल एवं (2) सुरेश जायसवाल तथा माता - संयुक्ता देवी के बीच पारिवारिक समझौता के आधार पर (1) संजय जायसवाल एवं (2) सुरेश जायसवाल तथा माता - संयुक्ता देवी तीनों	

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

अपीलकर्ता से पर्याप्त पैसा प्राप्त कर अपीलकर्ता के पक्ष में अपना सारा हक, अधिकार एवं दखल त्याग कर बाहर बस गये। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गलत तरीके से माता-संयुक्ता देवी एवं सुरेश जायसवाल के द्वारा केवाला दलील संख्या-3392 दिनांक 12.07.2022 गैर कानूनी तरीके से भूमि को चन्दन कुमार प्रसाद के नाम से बिक्री कर दिया गया। जबकि कुल रकवा-7.11 डी0 भूमि पर प्रथम पक्ष सतीश कुमार जायसवाल का सम्पूर्ण हक है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन में नामांतरण वाद नामांतरण वाद सं0-3186/R27/2022-23 में पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

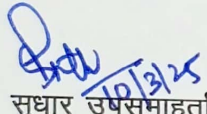
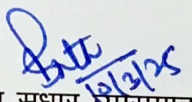
द्वितीय पक्ष- चन्दन कुमार प्रसाद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन में कहा गया है कि अंचल अधिकारी, चास से अनुशंसा प्राप्त अभिलेख जो जमाबंदी रद्द करने से सम्बन्धित है वो विधिसम्मत अनुसरणीय नहीं है। । उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने लिखित अभिकथन में इस तथ्य पर भी प्रश्न चिन्ह किया गया है कि प्रथम पक्ष बतायें कि किस कानून के प्रावधानों के तहत जमाबंदी रद्द करने से सम्बन्धित आवेदन दाखिल किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि राजस्व न्यायालय हक, स्वत, अधिकार एवं दखल का निस्तारण नहीं कर सकते हैं। उसका निष्ठारण व्यावहार न्यायालय द्वारा किया जाना है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन में यह भी कहा गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा आवेदन एवं उनके लिखित कथन में विरोधाभास है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि शिवशंकर जायसवाल के निधन के उपरांत उनकी विधवा परिवार की कर्ता बनी तथा उत्तराधिकार के आलोक में अंचल अधिकारी, चास के द्वारा जमाबंदी कायम की गई।

उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है चन्दन कुमार प्रसाद द्वारा केवाला दलील संख्या-3392 दिनांक 12.07.2022 के आलोक में अंचल अधिकारी, चास के समक्ष दाखिल-खारिज करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी, चास द्वारा नामांतरण वाद सं0-3186/R27/2022-23 में आदेश पारित कर जमाबंदी कायम की गई एवं विधिवत लगान राज्य सरकार को दिया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित अभिकथन में प्रथम पक्ष के आवेदन एवं विविध वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन, राजस्व दस्तावेज एवं कागजातों का अवलोकन किया।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अवलोकनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि उक्त भूमि का वाद स्व० शिवशंकर जायसवाल के मृत्यु के उपरांत उनके उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारा, हक, स्वामित्व एवं स्वत निर्धारण का है, जिसका निस्तारण इस न्यायालय द्वारा किया जाना संभव नहीं है। यह पूर्णतः दीवानी प्रकृति का मामला है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय में ही किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा <i>Suraj Bhan & Others vs. Financial Commissioner & Others reported in (2007) 6 SCC 186 paragraph-9</i> में कहा गया है कि "<i>reads as under ... So far as title to the property is concerned, it can only be decided by a competent civil court (vide Jattu Ram v. Hakam Singh [(1993) 4 SCC 403 : AIR 1994 SC 1653]) . xxxX.</i>" अतः उक्त व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट है कि—<i>the legal position is well settled that civil court has the jurisdiction to agitate upon the matter relating to title over the property.</i> अतः उभय पक्ष अपना दावा सक्षम न्यायालय (Civil Court) में प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आधार पर इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित/संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	